6—वेतन पुर्नरीक्षण/संशोधन/उच्चीकरण/वेतन विसंगतियां

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण विषयक शासनादेश संख्या:—877/XXVii (7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक: 24 मार्च, 2011 के प्रस्तर— 3 में संशोधन।	सं0:— 63/XXVii(7)27(8)/2011 दिनांक: 05 जुलाई, 2011	47—48
2	वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में राज्य के दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0:—89/XXVii(7)40(12)/2011 दिनांक: 08 जुलाई, 2011	49—50
3	वेतन विसंगति के 12वें प्रतिवेदन में सहायक जिला पंचायतीराज अधिकारी (प्राविधिक) के पुनरीक्षित वैतनमान के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0:—89/XXVii(7)40(12)/2011 दिनांक: 19 जुलाई, 2011	51—52
4	वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के मानचित्रकारों के पूर्व वेतनमान ₹ 4000—6000 को ₹ 5000—8000 में संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0:—115/XXVii(7)40(12)/2011 दिनांक: 19 जुलाई, 2011	53—54
5	वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मदरसा अरबिया रहमानिया रूड़की के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0:—116/XXVii(7)40(12)/2011 दिनांक: 19 जुलाई, 2011	55—56
6	वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में विधानसभा के लेखा संवर्ग के पदनाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0:—117/XXVii(7)40(12)/2011 दिनांक: 19 जुलाई, 2011	57—58
7	वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी/द्वाराहाट में	सं0:—118/XXVii(7)40(12)/2011 दिनांक: 19 जुलाई, 2011	59—60

	कार्यरत सीनियर नोटर ड्राफ्टर पद का वेतनमान पुनरीक्षित / संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।		
8	वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में सहायक विधि आलेखक के पद का वेतनमान संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0:–119 / xxvii(7)40(12) / 2011 दिनांक: 19 जुलाई, 2011	61–62
9	वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में उर्दू अनुवादकों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गय निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0:–120 / xxvii(7)40(12) / 2011 दिनांक: 19 जुलाई, 2011	63–64
10	वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में उद्यान विभाग के अधीनस्थ संवा वर्ग–1 के वेतनमान में संशोधन के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0:–121 / xxvii(7)40(12) / 2011 दिनांक: 19 जुलाई, 2011	65–66
11	वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में वन रक्षक, वन दरोगा एवं रेंजर की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0:–122 / xxvii(7)40(12) / 2011 दिनांक: 19 जुलाई, 2011	67–68
12	राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से सम्बन्धित शासनादेश संख्या: 10 / xxvii(7)40(ix) / 2011 दिनांक: 7 अप्रैल, 2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 का स्पष्टीकरण।	सं0:–65 / xxvii(7)40(ix) / 2011 दिनांक: 4 अगस्त, 2011	69–72
13	राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से सम्बन्धित शासनादेश संख्या: 65 / xxvii(7)40(IX) / 2011 दिनांक: 04 अगस्त, 2011 कें संलग्नक का स्पष्टीकरण।	सं0:–216 / xxvii(7)40(IX) / 2011 दिनांक: 14 अक्टूबर, 2011	73–74
14	वेतन विसंगति समिति के 13वें प्रतिवेदन में पुलिस विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदो के वेतनमानों में संशोधन / उच्चीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0:–254 / xxvii(7)40(13) / 2011 दिनांक: 25 नवम्बर 2011	75–76

15	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में खेल विभाग के अधीन स्पोर्टस कालेज, देहरादून के मैस मेनेजर के पद का पूर्व की तिथि से वेत्तनमान संशोधन/उच्चीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:-290/XXVii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	77-78
16	वेतन विसंति समिति के 14वें प्रतिवेदन में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, उपराजस्व अधिकारी, जिलेदार, राजस्व सहायक (मुशी) एवं मुख्य राजस्व सहायक (हेड मुंशी) के वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:-291/XXVii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	79-80
17	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के स्केलर संवर्ग समूह 'घ' वेतनमान रू0 4440-7440 ग्रेड पे रू0 1400 से उच्चीकृत करते हुए रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 1900 उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:-292/XXVii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	81-82
18	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में उत्तरराखण्ड पेयजल निगम में कार्यरत संगणक की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:-293/XXVii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	83-84
19	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में खाद्य विभाग के आपूर्ति शाखा, विधिमाप विज्ञान एवं विपणन शाखा के पदों के वेतनमान का संशोधन के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:-294/XXVii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	85-88
20	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में विधान सभा के लेखा संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कायान्वयन।	सं0:-295/XXVii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	89-90
21	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा के पुस्तकालय संवर्ग का पुनगठन के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:-296/XXVii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	91-92

22	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड सचिवालय के लेखा संवर्ग के पदनाम पिछली तिथि से परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:–297/xxvii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	93–94
23	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष/महिला) कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:–298/xxvii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	95–96
24	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के नर्सेज संवर्ग के कार्मिकों के वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:–299/xxvii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	97–98
25	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:–300/xxvii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	99–100
26	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में पशुपालन विभाग के वेटनरी फार्मासिस्ट तथा चीफ फार्मासिस्ट के वेतनमान पुनरीक्षण के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:–301/xxvii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	101–102
27	वेतन विसंगति के 14वें प्रतिवेदन में आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग के वेतनमान के संशोधन के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुतिओं पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:–302/xxvii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	103–104
28	वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में चिकित्सा विभाग के फार्मसिस्ट संवर्ग के वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	सं0:–303/xxvii(7)40(14)/2011 दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011	105–106
29	वन विकास निगम के स्केलर संवर्ग समूह	सं0:–287/xxvii(7)40(15)/2011	107–108

	"घ" वेतनमान ₹ 4440–7440 ग्रेड पे ₹ 1400 को वेतन बैण्ड ₹ 5200–20200 ग्रेड पे ₹ 1900 में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।	दिनांकः 20 दिसम्बर, 2011	
30	शासनादेश संख्याः 872/xxvii (7)न0प्रति0/2011 दिनांकः 08 मार्च, 2011 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नयन (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत 10 वर्ष, 18 वर्ष, 26 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिये जाने के सम्बन्ध में सेवा अवधि की गणना किया जाना।	सं0:–226/xxvii(7)/2011 दिनांकः 23 दिसम्बर, 2011	109–110
31	वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की फिटमैन्ट तालिका एवं विकल्प की सुविधा प्रदान किया जाना।	सं0:–67/xxvii(7)40(2)/2012 दिनांकः 13 अप्रैल, 2012	111–116
32	राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।	सं0:–313/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांकः 30 अक्टूबर, 2012	117–120
33	राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।	सं0:–314/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांकः 30 अक्टूबर, 2012	121–124
34	लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहाँ कार्य प्रभारित अधिष्ठान है के कार्मिकों के वेतन के संहत सीमा हटाया जाना।	सं0:–440/xxvii(7)30(4)/2013 दिनांकः 18 मार्च, 2013	125–126

संख्याः 63 /XXVII(7)27(8)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:05 जुलाई,2011

विषयः–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण विषय शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–3 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–(III) में यह व्यवस्था की गयी है कि "₹1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जायेगें अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800/– ग्रेड पे का एक मात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी।" उपरोक्त विषय में विभिन्न स्रोतों से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है कि उक्त व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में लागू होगी अथवा नहीं।

2– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–3 में की गयी व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।

3– उपर्युक्त शासनादेश 24 मार्च,2011 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 63 (1)/XXVII(7)27(8)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
10. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या:४१/XXVII(7)40(12)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक ०8 जुलाई,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में राज्य के दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रो के चिन्हीकरण के संबध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की दिनांक 27–08–2010 को सम्पन्न छठी बैठक में की गई संस्तुति के कम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:714/XXVII(7)छ0प्रति0/2010 एवं अनुस्मारक संख्या:749/XXVII(7)/2010 दिनांक 04 नवम्बर,2010, संख्या: 814/XXVII(7)/2011 दिनांक 14 जनवरी, 2011 एव संख्या: 62/XXVII(7)/2011 दिनांक 23 मई,2011 द्वारा राज्य के दुर्गम/अतिदुर्गम के चिन्हीकरण के संबध में विभिन्न विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। कतिपय विभागों को छोड़कर अधिकतर विभागों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो पाये है।

अत: विंसगति समिति की दिनांक 9 जून,2011 को सम्पन्न 12वीं बैठक में यह संस्तुति की गई है कि दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रों की चिन्हीकरण हेतु प्रत्येक प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से इस कार्य हेतु एक समिति का गठन करेगें। समिति की अध्यक्षता प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा की जाएगी तथा विभाग के समस्त विभागाध्यक्ष इस समिति के सदस्य के रूप में रखे जा सकते है।

प्रशासकीय विभाग के स्तर पर गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति में प्रमुख सचिव,वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक तथा प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य होगें। इस उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के अनुसार प्रशासकीय विभाग अपने–अपने विभाग के फील्ड कार्यालयों को चिन्हित कर सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त कर कार्यवाही करेगें।

अत: उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या81/XXVII(7)40(12)/2011

प्रेषक

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07

देहरादून:दिनांक:19 जुलाई,2011

विषय–वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में सहायक जिला पंचायतीराज अधिकारी(प्राविधिक) के पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उत्तर प्रदेश राज्य पंचायतीराज अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या:3165/33–1–2010–3165/10 दिनांक 09 नवम्बर,2010 द्वारा सहायक जिला पंचायतीराज अधिकारी(प्राविधिक) के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड– ₹5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹2800 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 ₹9300–34800 ग्रेड वेतन ₹4200/–दिनांक 01 जनवरी,2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए उसका वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जाए। उक्त के अलावा यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है कि पचांयतीराज विभाग की उक्त पद की नियमावली के आधार तीन वर्षीय डिप्लोमा है तथा इस पद का पदोन्नति का पद जिला पंचायतीराज अधिकारी के पद वेतनमान ₹8000–13500 पर होती है।

अतः समिति द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर संस्तुति की है कि उत्तर प्रदेश राज्य पंचायतीराज अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या:3165/33–1–2010– 3165/10 दिनांक 09 नवम्बर,2010 द्वारा सहायक जिला पंचायतीराज अधिकारी(प्राविधिक) के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड ₹5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹2800 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 ₹9300–34800 ग्रेड वेतन ₹4200/–दिनांक 01 जनवरी,2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए उसका वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या: 115/XXVII(7)40(12)/2011

प्रेषक

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
पेयजल विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 19 जुलाई,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के मानचित्रकारों के पूर्व वेतनमान ₹4000–6000 को ₹5000–8000 में संशोधित किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख प्रस्तुत तथ्य प्रस्तुत किये गये कि वेतन विसंगति समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मानचित्रकार संवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:613/XXVII (7) च0 प्रति/2010 दिनांक 24 जून,2010 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय विभागों के मानचित्रकारों का ₹4000–6000 को ₹5000–8000 में उच्चीकृत किया गया है। प्रदेश के राजकीय विभागों एवं पेयजल निगम के मानचित्रकार की भर्ती का स्रोत, शैक्षिक योग्यता तथा कार्य एवं दायित्व समान है।

अतः समिति उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संस्तुति करती है कि पेयजल निगम के मानचित्रकार के वेतनमान ₹4000–6000 को ₹5000–8000 नये वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200/– में तात्कालिक प्रभाव से उच्चीकृत किया जाए

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या:116/XXVII(7)40(12)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
समाज कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:19 जुलाई,2011

विषय:--वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मदरसा अरबिया रहमानिया, रूडकी के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को संशोधित किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि वेतन समिति,1997–99 की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश संख्या:690/52–3–2006–313011/96 टी.सी दिनांक 03 अप्रैल,2006 एवं शासनादेश संख्य:349/52–3–2007–5(301)/96 टी.सी दिनांक 21 अप्रैल,2007 तथा शासनादेश संख्या:246/52–3–210–5(301)/96 टी.सी दिनांक 19 अप्रैल,2010 द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यानुदानित अरबी, फारसी, मदरसों के प्रधानाचार्य/अध्यापकों, जो निर्धारित अर्हता सम्पन्न हो एवं विधिवत रूप से नियुक्ति हो के वेतनमानों को संशोधित किया गया है। अतः इसी आधार पर प्रदेश के राज्यानुदानित अरबी फारसी, मदरसों के शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन किया जाए।

समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सुझाव दिया गया है कि विभाग उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश दिनांक 03 अप्रैल,2006 के क्रम में प्रदेश के राज्यानुदानित अरबी, फारसी, मदरसों के प्रधानाचार्य/अध्यापकों जो निर्धारित अर्हता सम्पन्न हो एवं विधिवत रूप से नियुक्त हों, के वेतनमान संशोधन तथा उक्त अध्यापकों की निर्धारित अर्हता एवं विधिवत रूप से नियुक्ति के संबंध मे पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तत्संबंधी अभिलेखों के साथ पुनः प्रस्ताव वेतन विसंगति समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः।17/XXVii(7)40(12)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:19 जुलाई,2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में विधान सभा के लेखा संवर्ग के पदनाम परिर्वतन किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश मे गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उत्तराखण्ड विधान सभा (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) की नियमावली,2011 के प्रस्तर–25(1)(क) के आधार पर विधान सभा सचिवालय में प्रत्येक संवर्ग के पद का वेतनमान उत्तराखण्ड सचिवालय में तत्सम संवर्ग पद के समान वेतनमान अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः इसी आधार पर विधान सभा सचिवालय के लेखा संवर्ग के पदों के पदनाम उत्तराखण्ड सचिवालय के इरला चैक विभाग के लेखा संवर्ग के समान किये जाए।

समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सुझाव दिया गया है कि उत्तराखण्ड सचिवालय एवं विधान सभा सचिवालय के लेखा संवर्ग के संवर्गीय ढांचे में भिन्नता है। अतः यदि विभाग उत्तराखण्ड सचिवालय के समान संवर्गीय ढांचे के अनुरूप पदनाम परिवर्तित करना चाहता है तब तदनुसार संवर्गीय ढाचें का पुनर्गठन करते हुए पदनाम परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर वेतन विसंगति समिति के समक्ष समस्त तथ्य प्रस्तुत करते हुए आगामी बैठक में रखने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या:118/XXVii(7)40(12)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें

प्रमुख सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:19 जुलाई.2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में इंजीनियरिंग कालेज घुड़दोडी/द्वाराहाट में कार्यरत सीनियर नोटर ड्राफ्टर पद का वेतनमान पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि शासनादेश संख्या:1008/28–7–20(3)/89 दिनांक 23 मार्च,1997 के द्वारा जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कालेज, पौडी में सीनियर नोटर ड्राफ्टर के 02 पद वेतनमान ₹1200–2040 में सृजित है तथा शासनादेश संख्या:1009/28–7–20(3)/89 दिनांक 23–05–1997 द्वारा कुमाऊ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट में दो पद वेतनमान ₹1200–2040 सृजित किये गये है उक्त पद सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों स्रोतो से भरे जाने की व्यवस्था है। समता समिति उत्तर प्रदेश 1989 की संस्तुतियों के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 शासनादेश संख्या:5055/92–अठारह–1–339(सी)/88 टी.सी दिनांक 23–03–1993 द्वारा मोतीलाल नेहरू रीजिनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में सीनियर नोटर ड्राफ्टर पद का वेतनमान ₹1200–2040 को पुनरीक्षित करते हुए ₹1350–30–1440–40–1800–50–2200 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार शासनादेश संख्या: 2553/94–सोलह–1–56/92–94 दिनांक 30–01–1994 के द्वारा बुन्देल खण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, झांसी में भी नोटर ड्राफ्टर पद वेतनमान ₹1350–30–1440–40–1800–50–2200 में सृजित किया गया है।

अतः समिति द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर संस्तुति की है कि उत्तर प्रदेश राज्य के इंजीनियरिंग कालेजो की समकक्षता के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य के उक्त इंजीनियरिंग कालेज घुड़दोड़ी/द्वाराहाट में कार्यरत सीनियर नोटर ड्राफ्टर का वेतनमान ₹1200–2040 को वेतनमान ₹1350–30–1440–40–1800–50–2200 में उच्चीकृत/संशोधित करते हुए दिनांक 01–01–1996 से ₹4500–7000 तथा दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹2800, दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक(नोशनली) आधार पर तथा वास्तविक लाभ तत्तकाल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या:119/XXVii(7)40(12)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
विधायी विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0--07 देहरादून:दिनांक:19 जुलाई,2011

विषय:--वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में सहायक विधि आलेखक के पद का वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या:877/79--वि--1--10--2/2003 टी.सी दिनांक 05 अक्टूबर,2010 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग, सहायक विधि प्रारूपकार(हिन्दी) के पद का पूर्व वेतनमान ₹6500--10500 के स्थान पर ₹8000--13500 नये वेतन बैण्ड--3 ₹15600--39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 अनुमन्य किया गया है जबकि उत्तराखण्ड राज्य के विधायी प्रकोष्ठ में सृजित सहायक विधि आलेखक के पद का वेतनमान ₹6500--10500(नया वेतन बैण्ड ₹9300--34800 ग्रेड पे ₹4200) है। उत्तर प्रदेश में सहायक विधि प्रारूपकार (हिन्दी) की शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती का स्रोत,

1. भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि।
3. भर्ती का स्रोत--सहायक विधि प्रारूपकार (हिन्दी) के पद पर भर्ती, सेवा स्थानांतरण द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त उत्तर प्रदेश सचिवालय के ऐसे समीक्षा अधिकारियों में से, की जाएगी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

उत्तराखण्ड राज्य के सहायक विधि आलेखक की शैक्षिक योग्यता एवं भर्ती का स्रोत,

विधि स्नातक की डिग्री के साथ समकक्ष पद अथवा ₹5500--9000 के वेतनमान में कार्यरत के साथ विधायी कार्यो का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखा गया

अतः समिति द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर यह संस्तुति की है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सहायक विधि प्रारूपकार (हिन्दी) के पद की भर्ती के स्रोत में सेवा स्थानांतरण द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त उत्तर प्रदेश सचिवालय के ऐसे समीक्षा अधिकारियों में से, की जाएगी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव रखा गया है जबकि उत्तराखण्ड राज्य के सहायक विधि आलेखक की भर्ती के स्रोत में स्नातक की डिग्री के साथ समकक्ष पद अथवा ₹5500–9000 के वेतनमान में कार्यरत के साथ विधायी कार्यो का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य एवं उत्तराखण्ड राज्य के उक्त पद के भर्ती के स्रोत में भिन्नता होने के कारण प्रकरण को अस्वीकार किया जाता है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या120/XXVII(7)40(12)/2011

प्रेषक

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:19जुलाई,2011

विषय –वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में उर्दू अनुवादकों की वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उर्दू अनुवादकों के संबंध में मुख्य सचिव महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 09 फरवरी,2011 को आहूत वेतन विसंगति समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या:वे0आ0–2–2057/दस–54(एम)/2008 टी.सी दिनांक 08 सितम्बर ,2010 द्वारा उर्दू अनुवादकों के कुल सृजित पदों के सापेक्ष उच्चतर वेतनमान में पदों को वर्गीकरण/विभाजन किया गया है। अतः इसी आधार पर उत्तराखण्ड राज्य के उर्दू अनुवादकों के पदों को भी पुनर्गठित करते हुए अनुमन्य किये जाए।

समिति द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर यह संस्तुति की है कि उ0प्र0 राज्य के उक्तांकित शासनादेश संख्या:वे0आ0–2–2057/दस–54(एम)/2008 टी.सी दिनांक 08 सितम्बर,2010 के आधार पर उर्दू अनुवादकों के पदों को एक निश्चित अवधि में उच्चतर वेतनमान दिये जाने से पदों के कार्य एवं दायित्वों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, पदों के कार्य एवं दायित्वों में वृद्धि हुए बिना पृथक पदनाम एवं उच्चतर वेतनमान दिये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है और न ही इस आधार पर इनकी मिनिस्टीरियल सवर्ग से तुलना की जा सकती है।

सरकारी कार्यालयों में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक का एकल पद है और एकल पद होने के कारण उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक को लिपिकीय वर्ग मानकर ही अन्य कनिष्ठ लिपिक की भांति समयमान वेतनमान सुविधा के स्थान पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शासनादेश संख्या:872/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च,2011 द्वारा लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार क्रमशः 10 वर्ष,18वर्ष एवं 26 वर्ष में अगला उच्चतर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे जो पूर्व से ही अनुमन्य है की व्यवस्था का लाभ दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या121/XXVii(7)40(12)/2011

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें

सचिव,
उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:19 जुलाई,2011

विषय –वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में उद्यान विभाग के अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 के वेतनमान के संशोधन के संबंध मे समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि वेतन विसंगति समिति के नवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:864/XXVII (7) न0पनि0/2011 दिनांक 08 मार्च,2011 के कम में उद्यान विभाग में अधीनस्थ सेवा वर्ग–1,कृषि विभाग के अपर जिला कृषि अधिकारी एवं सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी के दिनांक 01–01–86 से पूर्व वेतनमान ₹ 1400–2600 समान थे जिन्हें दिनांक 01–01–96 से पंचम वेतन आयोग के संस्तुतियों के कम में प्रतिस्थापित वेतनमान ₹5000–8000 अनुमन्य किये गये। कृषि विभाग के अपर जिला कृषि अधिकारी, सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी के वेतनमान कमशः कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या:1149/XIII/07–3(8)/2006 दिनांक 02 नवम्बर,2007 तथा सहकारिता, गन्ना एवं चिनी अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या:1006/XIV–1/2007 दिनांक 08 नवम्बर,2007 द्वारा वेतनमान ₹5000–8000 को उच्चीकृत करते हुए वेतनमान ₹6500–10500 नेय वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 में उच्चीकृत किया गया है।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में उद्यान विभाग के अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 के पूर्व वेतनमान ₹5000–8000 को ₹ 6500–10500 में उच्चीकृत किये जाने के संबंध में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के समय से ही दो निदेशालय अलग–अलग गठित थे जिसमें मैदानी क्षेत्र हेतु लखनऊ तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु चौबटिया में कार्यालय स्थित थे। उत्तर प्रदेश राज्य तथा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित दोनों निदेशालयों में कतिपय पदों के संवर्गीय ढांचे एवं वेतनमान में भिन्नता है। जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड–2 का पद अपुनरीक्षित वेतनमान ₹6500–10500 में सृजित है जबकि उत्तराखण्ड राज्य में यह पद सृजित नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 पूर्व वेतनमान ₹5000–8000 से पदोन्नति श्रेणी–2 के पद वेतनमान ₹8000–13500 में किये जाने का प्राविधान है जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 पूर्व वेतनमान ₹5000–8000 की जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड–2 पूर्व वेतनमान ₹6500–10500 में पदोन्नति होती है। उत्तर प्रदेश राज्य मे उक्त वेतनमान ₹6500–10500 अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 की हाय–आर्की में

पदोन्नति का पद होने के कारण अधीनस्थ सेवा वर्ग—1 वेतनमान ₹5000—8000 का ₹6500—10500 में उच्चीकृत नहीं किया जा सकता है जबकि उत्तराखण्ड राज्य में अधीनस्थ सेवा वर्ग—1 वेतनमान ₹5000—8000 से श्रेणी—2 वेतनमान ₹8000—13500 में होती है फलस्वरूप यदि अधीनस्थ सेवा वर्ग—1 पद के वेतनमान को ₹6500—10500 में उच्चीकृत किया जाता है तब इसके संवर्गीय ढांचे में हाय—आर्की / पदोन्नति के पदों के वेतनमानों में किसी प्रकार की विसंगति नहीं होगी।

प्रदेश के अन्य विभाग यथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के उक्त पदों की शैक्षिक योग्यता तथा कार्य एवं दायित्वा पूर्व से समान रहे तथा दिनांक 01—01—86 से उक्त पदों के वेतनमान भी समान रहे है किन्तु कृषि विभाग के अपर जिला कृषि अधिकारी तथा सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी के वेतनमान ₹5000—8000 को ₹6500—10500 नये वेतनमान ₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4200 में उच्चीकृत होने के कारण उद्यान विभाग के अधीनस्थ सेवा वर्ग—1 के पदों के वेतनमानों में विसंगति हो गई है।

अतः समिति उक्त तथ्यों के आधार पर संस्तुति करती है कि कृषि विभाग के अपर जिला कृषि अधिकारी तथा सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी के वेतनमान ₹5000—8000 को वेतनमान ₹6500—10500 नये वेतनमान ₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4200 में उच्चीकृत किया गया है तथा सम्प्रति दोनों पद ₹4200 की ग्रेड पे में हैं और ₹6500—10500 के वेतनमान के पदों को ₹7450—11500 के वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया है फलस्वरूप जिस प्रकार कृषि विभाग के अपर जिला कृषि अधिकारी तथा सहकारिता विभाग के अपर जिल सहकारी अधिकारी के पदों के वेतनमान उच्चीकृत / संशोधित किये गये है इसी प्रकार उद्योग विभाग के अधीनस्थ सेवा वर्ग—1 के वेतनमान ₹5000—8000 को ₹6500—10500 नये वेतनमान ₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4600 में तात्कालिक प्रभाव से उच्चीकृत किया जाए।

2— उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या:122/XXVII(7)40(12)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
वन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक: 19 जुलाई,2011

विषय:-वेतन विसंगति समिति के 12वें प्रतिवेदन में वन रक्षक, वन दरोगा एवं रेंजर की वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग के शासनादेश संख्या:643/चौदह-3-11-300(53)/2010 दिनांक 11 अप्रैल,2011 द्वारा वन विभाग के वन रक्षक के पदों पर शारीरिक मापदण्ड तथा शैक्षिक अर्हता यथावत बनाये रखते हुए इन पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान ₹2750-4400(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 ₹5200-20200 ग्रेड पे ₹1800) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान ₹3050-4590(पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड-1 ₹5200-20200 ग्रेड पे ₹1900) अनुमन्य कराया गया है। वन दरोगा(फॉरेस्टर) के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान ₹4000-6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड-1 ₹5200-20200 ग्रेड पे ₹2400) के स्थान पर पुलिस विभाग के ए0एस0आई(एम) के समान ₹4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड-1 ₹5200-20200 ग्रेड पे ₹2800) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान और हेड वन रक्षक के पद से पदोन्नति का प्राविधान है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी वेतनमान ₹5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड-1 ₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4200) के स्थान पर ₹7500-12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड-1 ₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4800) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान अनुमन्य कराया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति निम्नवत संस्तुति करती है:-

(1) वन रक्षक को चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में लिया जाना है वन विभाग में वन रक्षक का महत्वपूर्ण पद है चूंकि अब चतुर्थ श्रेणी में सीधी नियुक्ति नहीं हो सकती है तथा वन विभाग में वन रक्षक का महत्वपूर्ण पद है फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य की भांति वन रक्षक के वेतनमान ₹2750-4400 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृशय वेतन बैण्ड-1 ₹5200-20200 ग्रेड पे ₹1800) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान ₹3050-4590(पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड-1 ₹5200-20200 ग्रेड पे ₹1900) अनुमन्य किया जाए।

(2) वन दरोगा(फॉरेस्टर) के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान ₹4000-6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड-1 ₹5200-20200 ग्रेड पे ₹2400) के स्थान पर पुलिस विभाग के ए0एस0आई(एम) के समान ₹4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन

बैण्ड–1 ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2800) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान और हेड वन रक्षक के पद से पदोन्नति का प्राविधान है।

(3) क्षेत्रीय वन अधिकारी वेतनमान ₹5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200) के स्थान पर ₹7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4800) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान अनुमन्य कराया गया है।

अतः वन रक्षक, वन दरोगा एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के उक्त बिन्दु 1,2 एवं 3 में प्रस्तावित वेतनमान तात्कालिक प्रभाव से संशोधित किया जाए।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः 65/XXVII(7)40(IX)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07 देहरादूनःदिनांकः 04 अगस्त,2011

विषयः-राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्याः10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 के संलग्नक के उदाहरण-1 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियन प्रोन्नयन **(ए0सी0पी0) से** संबंधित स्पष्टीकरण संख्याः10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 **के** संलग्नक के उदाहरण-1 की तालिका में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त समूह 'घ'(अनुसेवक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड ₹4440-7440 एवं ग्रेड वेतन ₹1300/- के स्थान पर दिनांक 01 सितम्बर,2008 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड ₹5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1800/- अनुमन्य होने के फलस्वरूप वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया गया।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण संख्या-1 में उल्लिखित तालिका के बिन्दु-4,5 एवं 6 में अनुसेवकों के संबंध में कालम-3 में उल्लिखित व्यवस्था अब संलग्न तालिका के कालम-2 के स्थान पर कालम-3 के अनुसार केवल सेवा अवधि के प्रयोजन हेतु आगणित करके अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्याः283/XXVII (7) /2010 दिनांक 07-01-2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये लागू की गई स्टाफिंग पैर्टन की सुविधा के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ वापस हो जाएगें।

4- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक का उदाहरण-1 की तालिका के संगत अंश को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए तथा इसकी शेष व्यवस्था यथावत रहेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्याः 65/30(VI)/XXVII(7)/2011तददिनाक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय ,उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
11. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

शासनादेश संख्याः 65/xxvii(7)40(IX)/2011 दिनांक 05 अगस्त,2011 का संलग्नक

समूह 'घ' (अनुसेवक) के पद पर दिनांक 01 जनवरी,2006 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 बिन्दु–4,5 व 6 में वर्तमान व्यवस्था	शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 बिन्दु–4,5 व 6 में संशोधित व्यवस्था
1	2	3
समूह "घ" अनुसेवक के पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चीकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 01 सितम्बर,2008 से		
(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 4440–7440 ₹ 1400/	₹ 5200–20200 एवं ₹1900/–
(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 5200–20200 ₹ 1800/–	₹ 5200–20200 एवं ₹ 2000/–
(iii) अनुसेवक "सी" तृतीय को वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 5200–20200 ₹ 2000/–	₹ 5200–20200 एवं ₹ 2400/–

संख्या:216 /XXvii(7)40(IX)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादून:दिनांक: 14 अक्टूबर,2011

विषयः—राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्या:65/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 के संलग्नक का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:65/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 के विषय में शासन स्तर पर विभिन्न स्रोतों से जिज्ञासा की जा रही है कि ए0सी0पी0 के विषय में शासनादेश संख्या:10/XXVII(7)/40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 समूह 'घ' के विषय में संलग्नक के उदाहरण—1 के विषय में उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 04 अगस्त,2011 के संलग्नक में ए0सी0पी0 के आंगणन हेतु किये गये संशोधन के फलस्वरूप ए0सी0पी0 का नकद लाभ दिनांक 01—9—2008 में अनुमन्य होगा या नहीं।

2— प्रदेश के समूह 'घ' के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)/च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के द्वारा ₹1300, ₹1400 एवं ₹1650 के ग्रेड पे का तात्कालिक प्रभाव से पे बैण्ड—1 ₹5200— 20200 पे ₹1800 ग्रेड पे में पुनरीक्षित किया गया था और शासनादेश संख्या:07/XXVII(7)/27(V)/2011 दिनांक 06 अप्रैल,2011 के द्वारा उक्त वर्ग के समस्त कार्मिकों को (ए0सी0पी0 प्राप्त तथा नान ए0सी0पी0 प्राप्त कार्मिकों) को तात्कालिक प्रभाव दिनांक 24 मार्च,2011 से अनुमन्य लाभ को दिनांक 01—01—2006 से काल्पनिक (नोशनल) आधार पर करते हुए नकद भुगतान दिनांक 24 मार्च,2011 से किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

3- उक्त प्रस्तर—2 के शासनादेशों की व्यवस्था के दृष्टिगत ही समूह 'घ' के ए0सी0पी0 के विषय में निर्गत शासनादेशों संख्या:65/XXVII(7)/40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक में संशोधित ग्रेड पे के अनुसार लाभ केवल सेवावधि के प्रयोजन हेतु आगणित करके अनुमन्य करने की व्यवस्था की गई थी, अर्थात चूंकि किसी पद पर मौलिक रूप से कार्यरत पदधारक तथा ए0सी0पी0 के आधार पर कार्यरत पदधारक, दोनों को उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 06—04—2011 के साथ वेतन बैण्ड—1 में ₹5200—20200 में ग्रेड पे ₹1800 का लाभ दिनांक 01—01—2006 से काल्पनिक रूप से तथा दिनांक 24 मार्च,2011 वास्तविक रूप से अनुमन्य किया गया है अतः ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु आगणन का आशय दिनांक 01 सितम्बर,2008 से क्रमशः ₹1400 ₹1800 एवं ₹2000 ग्रेड पे प्राप्त करने वाले समूह 'घ' के कार्मिकों के ₹1900 ₹2000 एवं ₹2400 के अनुसार काल्पनिक रूप से अनुमन्य किया जायेगा और इसी शासनादेश के अनुसार मौलिक रूप से प्राप्त कर रहे वेतन तथा ए0सी0पी0 के रूप में प्राप्त हो रहे लाभ को दिनांक 24 मार्च,2011 से नकद किया गया है।

4— यदि उक्त वर्ग के कार्मिकों को उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 04—08—2011 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01—09—2008 से नकद भुगतान त्रुटिपूर्वक कर दिया गया है तो उस अवधि के भुगतान की धनराशि की वसूली आसन किस्तों में करने की कार्यवाही संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा अविलम्ब की जाएगी।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्याः 216 / 40(IX) / XXvii(7) / 2011तददिनांक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय ,उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त वित्त नियंत्रक वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या: 254/XXVII(7)40(13)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,

सचिव वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव

गृह, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 25 नवम्बर,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 13वें प्रतिवेदन में पुलिस विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों के वेतनमानों में संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये कि वैज्ञानिक अधिकारी पूर्व वेतनमान ₹6500–10500 पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक पूर्व वेतनमान ₹6500–10500 वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200, सहायक उप निरीक्षक(एम) ₹4000–6000 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2400, हेड कान्सटेबल, ना0पु0/स0पु0/एम0टी0/पी0ए0सी0 पूर्व वेतनमान ₹3200–4900 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2000, कान्सटेबल ना0पु0स0पु0/चालक/पी0ए0सी0 पूर्व वेतनमान ₹3050–4590 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1900, सहायक परिचालक पूर्व वेतनमान ₹3200–4900 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2000, कर्मशाला सहायक पूर्व वेतनमान ₹3050–4590 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1900, फायर मैन पूर्व वेतनमान ₹3050–4590 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1900 एवं लीडिंग फायर मैन/फायर सर्विस चालक पूर्व वेतनमान ₹3200–4900 वेतन बेण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2000 के वेतनमान में है।

वैज्ञानिक अधिकारी पूर्व वेतनमान ₹6500–10500 वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक ₹6500–10500 वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600, सहायक उप निरीक्षक(एम) ₹4000–6000 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2800, हेड कान्सटेबल, ना0पु0, स0पु0/एम0टी0/पी0ए0सी0 पूर्व वेतनमान ₹3200–4900 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2400, कान्सटेबल,ना0पु0, स0पु0/चालक/पी0ए0सी0 पूर्व वेतनमान ₹3050–4590 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2000, सहायक परिचालक पूर्व वेतनमान ₹3200–4900 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2400, कर्मशाला सहायक पूर्व वेतनमान ₹3050–4590 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2000, फायर मैन पूर्व वेतनमान ₹3050–4590 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2000 एवं लीडिंग फायर मैन/फायर सर्विस चालक पूर्व वेतनमान ₹3200–4900 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2400 में उच्चीकृत/संशोधन किया जाए। प्रशासकीय विभाग द्वारा यह भी तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 12 मार्च,2010 के कम में वैज्ञानिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सम्प्रेक्षक के पद का वेतनमान ₹6500–10500 को वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600 में उच्चीकृत किया जाए तथा फायर मैन एवं लीडिंग फायर मैन/फायर सर्विस चालक की समकक्षता कमशः कान्सटेबल एवं हेड कान्सटेबल से है। अतः इनके वेतनमान एवं शैक्षिक योग्यता तदनुसार समान रखी जाए।

समिति विभाग द्वारा उक्त प्रस्तुत तथ्यों/संगत शासनादेशों/अभिलेखों तथा वेतन समिति,2008 द्वारा आम श्रेणी (कॉमन कैटेगरी) के पदों के संबंध में की गई संस्तुति के कम में उक्त पदों के वेतनमान आदि के संबंध में निम्नानुसार संस्तुति करती है:-

क0सं0	पदनाम	पूर्व वेतनमान (₹)	छठे वेतन आयोग में स्वीकृत वेतनमानों एवं ग्रेड वेतन (₹)	समिति द्वारा संस्तुत वेत बैण्ड एवं ग्रेड पे (₹)
1.	वैज्ञानिक अधिकारी	6500--10500	9300—34800 ग्रेड पे 4200	9300—34800 ग्रेड पे 4600
2	सहायक उप निरीक्षक(एम)	4000—6000	5200—20200 ग्रेड पे 2400	5200—20200 ग्रेड पे 2800
3	हेड कान्सटेबल, ना0पु0/स0पु0 /एम0टी0/पी0ए0सी0	3200—4900	5200—20200 ग्रेड पे 2000	5200—20200 ग्रेड पे 2400
4	कान्सटेबल,ना0पु0, स0पु0 /चालक/पी0ए0सी0	3050—4590	5200—20200 ग्रेड पे 1900	5200—20200 ग्रेड पे 2000
5	सहायक परिचालक	3200—4900	5200--20200 ग्रेड पे 2000	5200—20200 ग्रेड पे 2400
6	कर्मशाला सहायक	3050—4590	5200--20200 ग्रेड पे 1900	5200—20200 ग्रेड पे 2000
7	फायर मैन	3050--4590	5200—20200 ग्रेड पे 1900	5200—20200 ग्रेड पे 2000
8	लीडिंग फायर मैन/फायर सर्विस चालक	3200--4900	5200—20200 ग्रेड पे 2000	5200—20200 ग्रेड पे 2400

2. समिति यह भी संस्तुति करती है कि भारत सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग द्वारा लागू की गई संस्तुति के कम में वेतन समिति,2008 द्वारा आम श्रेणी (कॉमन कैटगरी) पदों के संबंध में की गई संस्तुति के कम में कान्सटेबल जिसकी शैक्षिक योग्यता सम्प्रति हाईस्कूल है की शैक्षिक योग्यता इन्टर मीडिएट रखी जाए तथा जो पदधारक उक्त शैक्षिक योग्यता पूर्ण नहीं करते हों उनके लिए 06 माह के अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी जाए तथा उनके द्वारा यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त लिये जाने के पश्चात ही उक्तानुसार संशोधित वेतनमान अनुमन्य होगें।

3. वरिष्ठ सम्प्रेक्षक पद के वेतनमान प्रदेश के सम्प्रेक्षक सवंर्ग की भांति उच्चीकृत किये जाने के संबंध में संबंधित विभाग वित्त विभाग की सहमति से वेतनमान उच्चीकृत किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकते है।

4. उक्तानुसार वेतनमान संशोधनोपरान्त संबंधित विभाग संगत नियमावली में संशोधन हेतु पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें।

5. उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव, वित्त।

सख्या२७०/XXVII(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रभारी सचिव,
खेल विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:13 दिसम्बर,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में खेल विभाग के अधीन स्पोर्टस कालेज, देहरादून के मैस मेनेजर के पद का पूर्व की तिथि से वेतनमान संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उत्तर प्रदेश राज्य खेल विभाग के शासनादेश संख्या:/एस0पी0/269/42–34/एस0पी0/4/82 दिनांक 04 अप्रैल,1991 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के स्पोर्टस कॉलेज लखनऊ के विभिन्न पदों के साथ मैस मेनेजर के पद के वेतनमान 470–735 को दिनांक 01–01–86 से 1200–2040 में संशोधित किया गया है जिसे शासनादेश संख्या:4118/ 82–92/34/एस0पी0/ 4/82–92 दिनांक 04 मार्च,1993 द्वारा दिनांक 01–01–86 अथवा पद सृजन की तिथि से ₹1350–2200 अनुमन्य किया गया है।

उत्तरांचल विकास अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या:5334/28–2–93– 13(5)/91 दिनांक 11 नवम्बर,1993 द्वारा स्पोर्टस कॉलेज, देहरादून में मैस मेनेजर का पद वेतनमान 1200–2040 में सृजित किया गया है। वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश संख्या:37/VI–2/2010–53(खेल)/2010 दिनांक 12 अक्टूबर,2010 द्वारा मैस मेनेजर के पद के वेतनमान ₹1200–2040 को तत्काल प्रभाव से ₹1350–2200 वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2800 अनुमन्य किया गया है। अतः दिनांक 01–01–96 से उक्त पद के पूर्व वेतनमान ₹1200–2040 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2400 को वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2800 में तात्कालिक प्रभाव के स्थान पर दिनांक 01–01–96 से संशोधित किया जाए।

समिति संस्तुति करती है कि चूकि उत्तराखण्ड राज्य में मैस मेनेजर का पद बाद में वेतनमान ₹1200–2040 में सृजित हुआ है जबकि उक्त पद सृजित किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में स्पोर्टस कॉलेज, लखनऊ के मैस मेनेजर के पद का वेतनमान ₹1350–2200 इससे पूर्व ही संशोधित हो गया था फलस्वरूप स्पोर्टस कॉलेज देहरादून के मैस मेनेजर के पद का वेतनमान उत्तराखण्ड राज्य प्रभाजन की तिथि (09–11–2000) से ₹1200–2040 को संशोधित करते हुए ₹1350–2200 प्रतिस्थापित वेतनमान ₹4500–7000 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2800 काल्पनिक आधार पर तथा दिनांक 12 अक्टूबर,2010 से वास्तविक लाभ अनुमन्य किया जाए।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:२१/XXVii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादून:दिनांक: 13 दिसम्बर,2011

विषय:—वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में सिचांई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, उपराजस्व अधिकारी, जिलेदार, राजस्व सहायक (मुशी) एवं मुख्य राजस्व सहायक (हेड मुंशी) के वेतनमान उच्चीकरण के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या:वे0आ0—2—688/दस—(एम)/2008/टी0सी0 दिनांक 18 मार्च,2011 द्वारा सिचांई विभाग के कतिपय पदों के वेतनमान निम्नवत् उच्चीकृत किये गये:—

(i) **अधीक्षण अभियन्ता**—भारत सरकार में पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान ₹14300—18300 किया जा चुका है। राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान ₹12000—16500 है तथा वेतनमान ₹14300—18300 में अभियन्त्रण संवर्ग में पद उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार से समकक्षता के दृष्टिगत अभियन्त्रण सेवाओं में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर वेनतमान ₹14300—18300 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में वेतन बैण्ड—4 (₹37400—67000) तथा ग्रेड वेतन ₹8700 अनुमन्य किया गया है। सम्प्रति उत्तर प्रदेश राज्य में अधीक्षण अभियन्ता ₹12000—16500 के पदधारक को अधीक्षण अभियन्ता सलेक्शन ग्रेड ₹14300—18300 का वेतनमान अनुमन्य है जिसके स्थान पर अब उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अधीक्षण अभियन्ता का मूल वेतन बैण्ड ₹37000—67000 ग्रेड पे ₹8700 अनुमन्य किया गया है।

(ii) **उपराजस्व अधिकारी**—उपराजस्व अधिकारी के संबंध में इस तथ्य का उल्लेख है कि उपराजस्व अधिकारी का भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता,1973 (एक्ट—2,1974) की धारा—13 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल जूडीशियल मजिस्ट्रेट(द्वितीय श्रेणी) के पद पर नियुक्ति किये जाते है, नार्दन इण्डिया कैनॉल एण्ड ड्रेजेज एक्ट—8, 1873 की धारा—70 के अन्तर्गत वादों का विचारण एवं परीक्षण तथा दोष सिद्ध होने पर जुर्माना कारावास अथवा दोनों से दण्डित करने का आधार है। उपराजस्व अधिकारी/ स्पेशल जूडीशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये निर्णयों के अपील सुनने का अधिकार जिला न्यायधीश को है। उपराजस्व अधिकारी का वेतनमान तहसीलदार के समान वेतनमान ₹8000—13500 दिये

जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य में गठित वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में उपराजस्व अधिकारी के कार्य एवं दायित्व को देखते हुए वर्तमान वेतनमान ₹6500-10500 से उच्चीकृत कर 7500-12000 के सादृश्य पुनरीक्षित संरचना में वेतन बैण्ड-2 (₹9300-34800 ग्रेड पे 4800) अनुमन्य किया गया है।

(iii) **जिलेदार**-जिलेदार के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त सींच पर्यवेक्षकों जिनके द्वारा सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों तथा जिलेदार अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हों, में शत प्रतिशत पदोन्नति की जाती है। जिलेदार द्वारा कैनाल एक्ट के अन्तर्गत दायर अपराधिक वादों का अनुवेषण किया जाता है। इसके अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों को तलब करके गवाहों के बयान एवं अनुवेषण के आधार पर जांच एवं संस्तुति करते हुए अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से वाद दायर करने की कार्यवाही की जाती है। जिलेदार का स्वतंत्र कार्यालय होता है जिसके अधीन सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक,नलकूप चालक तथा अन्य विविध पद धारक कार्यरत है। जिलेदार नहर और नलकूपों के संचालन के साथ ही पानी हैड से टेल तक ओसरा बन्दी के अनुसार सिंचाई हेतु उपलब्ध कराये जाने का कार्य कराया जाता है। जिलेदार के पद हेतु नायब तहसीलदार के समान ₹5500-9000 वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में वेतन समिति द्वारा जिलदार के कार्य एंव दाचित्व को देखते हुए वर्तमान वेतनमान ₹4500-7000 को उच्चीकृत कर वेतनमान ₹5000-8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वेतन बैण्ड-2 ₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4200 इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया गय है कि जिलेदार के 25 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती, स्नातक, शैक्षिक अर्हता होगी।

(iv) **मुंशी (राजस्व सहायक) एंव हैड मुशीं (मुख्य राजस्व सहायक)**:-उत्तर प्रदेश राज्य में मुंशी एंव हैड मुंशी की वेतन विसंगति दूर करते हुए इनके वेतनमान उच्चीकत किये गये हैं।

समिति द्वारा सुझाव दिया गया है कि उपराजस्व अधिकारी, जिलेदार, मुंशी(राजस्व सहायक) एवं हैड मुंशी(मुख्य राजस्व अधिकारी) के संबंध में वेतन समिति,2008 के दसवें प्रतिवेदन भाग-1 मे सिंचाई विभाग के संबंध में की गई विस्तृत संस्तुतियों के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य के संवर्गीय ढांचे तथा उत्तराखण्ड राज्य के सिंचाई विभाग के संवर्गीय ढांचे में विद्यमान पदों की तुलनीयता के आधार पर पद की भर्ती का स्रोत शैक्षिक योग्यता कार्य एव दायित्व तथा पोषक संवर्ग एवं पदोन्नति में हाय-आर्की के पदों के साथ ही भारत सरकार मे समकक्ष विभाग में उपलब्ध पदों के आलोक में प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए एक सुस्पष्ट प्रस्ताव तथा इसी क्रम में अधीक्षण अभियन्ता के पद अन्य तकनीकी विभागो में भी विद्यमान है। अतः विभाग अन्य विभागों में विद्यमान अधीक्षण अभियन्ता के पदों के वेतनमान भर्ती का स्रोत शैक्षिक योग्यता तथा कार्य एवं दायित्व तथा पोषक संवर्ग एवं पदोन्नति के पदों के वेतनमानों के आलोक में समग्रता के रूप में एक सुस्पष्ट प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई है कि समस्त अभियन्त्रण विभागों के उक्त संवर्ग के संबंध मे उत्तर प्रदेश राज्य की वेतन समिति,2008 एवं भारत सरकार के समकक्ष विभाग के उक्त पदों के आलोक में समग्रता के रूप में प्रस्ताव अगले वेतन विसंगति समिति में रखा जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव वित्त।

संख्या:२१२/XXVii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
वन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादून:दिनांक:13 दिसम्बर,2011

विषय:—वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के स्केलर संवर्ग समूह 'घ' वेतनमान ₹4440—7440 ग्रेड पे ₹1400 से उच्चीकृत करते हुए ₹5200—20200 ग्रेड पे ₹1900 उच्चीकृत किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि शासनादेश संख्या:6453/X—1—2006—8(25)/2001 टी0सी0 दिनांक 05 जून,2007 द्वारा स्केलर का पद वेतनमान 2610—3540 में सृजित किया गया है। वन विभाग की नियमावली में स्केलर पद को समूह 'घ' में सम्मलित किया गया है। इस पद की शैक्षिक योग्यता सीधी भर्ती हेतु अंकगणित के साथ हाईस्कूल है इसके साथ ही इस पद के कार्य एवं दायित्व समूह 'घ' से भिन्न अधिक महत्वपूर्ण है। सम्प्रति उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्र0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 तथा तत्क्रम में समय—समय पर निर्गत स्पष्टीकरण आदेश द्वारा प्रदेश के राजकीय विभागों के समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹1300/—, ₹1400/— एवं ₹1650/— के स्थान पर वेतन बैण्ड—1 ₹5200—20200 एवं ग्रेड पे ₹1800 के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन किया गया है तथा तदनुसार राज्य के निगमों में भी समूह 'घ' के कार्मिकों को ग्रेड पे ₹1800 में उच्चीकरण/संशोधन किया गया है जबकि विभाग द्वारा स्केलर संवर्ग के वेतनमान को ग्रेड पे ₹1900 में उच्चीकृत/संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है।

समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि स्केलर संवर्ग की शैक्षिक योग्यता, भर्ती का स्रोत एवं हाय—आर्की में पदोन्नति के पदों के वेतनमानों तथा कार्य एवं दायित्वों के आलोक में समग्रता के रूप में एक सुस्पष्ट प्रस्ताव समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:२९३/XXVii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
पेयजल निगम,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:13 दिसम्बर,2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड पैयजल निगम में कार्यरत संगणक की वेतन विसगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि शासनादेश संख्या:1206/नौ–2 (92अधि0)/2002 दिनांक 24 जून,2003 द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम के संरचनात्मक ढांचे में अवर अभियन्ता(तकनीकी) का वेतनमान ₹5000–8000 में है तथा संगणक/मुख्य मानचित्रकार को वेनतमान ₹4500–7000 में रखा गया है जबकि शासनादेश संख्या:697/XXIX(1)/06–(92अधि0)/2002 दिनांक 12 दिसम्बर,2006 द्वारा पेयजल निगम में कार्यरत संगणकों को दिनांक 01–01–96 से वेतनमान ₹4500–7625 के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान ₹5000–8000 अनुमन्य करते हुए इसके संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए पदनाम संगणक के स्थान पर कनिष्ठ अभियन्ता(तकनीकी) किया गया। शासनादेश संख्या:352/XXIX(1)/08–(92अधि0) /2002 दिनांक 15 अप्रैल,2008 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (तकनीकी) के पदनाम पूर्ववत संगणक कम्प्यूटर पुनः संशोधित किया गया है। उक्तानुसार व्यवस्था लागू होने के पश्चात मानचित्रकार से संगणक के पद वेतनमान ₹5000–8000 में पदोन्नति की गई, जबकि उक्त शासनादेश जारी होने के पूर्व मानचित्रकारों की पदोन्नतियां संगणक वेतनमान ₹4500–7625 में की गई है जिस कारण संगणकों के वेतनमानों में विंसगति आ गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 12–12–2006 के प्रस्तर–6 में यह व्यवस्था की गई कि उक्त ढांचे में यदि किन्हीं पदों के वेतनमान उच्चीकृत किये गये है तो पूर्व पद के वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों के वेतनमान उच्चीकृत नहीं होंगें वरन् वे पूर्व पद के वेतनमान को व्यैक्तिक रूप से प्राप्त करेंगें जब तक कि उक्त वेतनमान उन्हें पदोन्नति का अन्यथा न प्राप्त हो जाए। अतः ऐसे मानचित्रकार जो कि उक्त शासनादेश दिनांक 12–12–2006 के पूर्व संगणक के पद पूर्व वेतनमान ₹4500–7625 में पदोन्नति पाये है और उन्हें उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमान ₹5000–8000 अनुमन्य नहीं हो पाया है उन्हें भी उक्त शासनादेश दिनांक 12–12–2006 के जारी होने के पश्चात पदोन्नत मानचित्रकार के समान ही उच्चीकृत वेतनमान ₹5000–8000 अनुमन्य किया जाए।

समिति द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर यह संस्तुति की गई है कि ऐसे मानचित्रकार जो कि उक्त शासनादेश दिनांक 12–12–2006 के पूर्व संगणक के पद पूर्व वेतनमान ₹4500–7625 में पदोन्नति पाये है तथा जिन्हें उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमान ₹5000–8000 अनुमन्य नहीं हो पाया है उन्हें भी उक्त शासनादेश दिनांक 12–12–2006 के पश्चात पदोन्नत मानचित्रकार के समान ही उच्चीकृत वेतनमान ₹5000–8000 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 अनुमन्य किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 12–12–2006 के प्रस्तर–6 में संबंधित विभाग तद्नुसार से संशोधन कर लें।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:२९५/XXVii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर सचिव, स्वतंत्र प्रभार,
खाद्य विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:13 दिसम्बर,2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में खाद्य विभाग के आपूर्ति शाखा, विधिमाप विज्ञान एवं विपणन शाखा के पदों के वेतनमान का संशोधन के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:वे0आ0–2–385/दस–54(एम)/2008/टी0सी0 दिनांक 18 मार्च,2011 के कम में खाद्य एवं रसद अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30 जून,2011 के कम में आपूर्ति शाखा के पदों के पदनाम, भर्ती का स्रोत सहित वेतनमान संशोधन का निम्नवत् प्रस्ताव है:–

(i) पूर्ति निरीक्षक–के 240 पदों पूर्व वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹2800 को संशोधित कर ग्रेड पे ₹4200 तथा भर्ती के स्रोत में यथावत रखा गया है।

(ii) वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी चूंकि दोनों ही पद एक ही वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 में आ गये है। अतः इस आधार पर अब पदनाम क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रखते हुए वेतन बैण्ड ₹4600 तथा इस पद पर 05 वर्ष की सेवा वाले पूर्ति निरीक्षक से शत् प्रतिशत द्वारा भरे जाएं।

(iii) जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड–2 के पदों पर वेतनमान ₹6500–10500, वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600 को पूर्व वेतनमान ₹7500–12000 ग्रेड पे ₹4800 में संशोधित करते हुए 50 प्रतिशत् सम्मिलित राज्य सेवा के आधार पर तथा 50 प्रतिशत पदों पर 05 वर्ष की सेवा वाले क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से पदोन्नत द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की भांति पदनाम जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड–2 रखा जाय।

(iv) जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड–1 पूर्व वेतनमान ₹8000–13500 वेतन बैण्ड ₹15600–39100 ग्रेड पे ₹5400 को यथावत रखा गया है।

(v) सहायक आयुक्त–वेतन बैण्ड ₹15600–39100 ग्रेड पे ₹6600 का पदनाम परिवर्तित करते हुए उपायुक्त करते हुए पूर्व में सृजित 01 पद के अतिरिक्त 01 पद उच्चीकरण सहित ग्रेड पे ₹6600 तथा 05 वर्ष की सेवा वाले जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड–1 से पदोन्नति से भरा जाय।

(vi) उपायुक्त वेतन बैण्ड ₹15600–39100 का पदनाम परिवर्तित करते हुए संयुक्त आयुक्त वेतन बैण्ड ₹7600 में यथावत रखा जाय।

(vii) अपर आयुक्त वेतन बैण्ड ₹37000–67000 ग्रेड पे ₹8700 पूर्व में पी0सी0एस0 संवर्ग का पद जो भी पदेन रूप में सृजित था को अब विभागीय संवर्ग से 02 वर्ष की सेवा वाले संयुक्त आयुक्त पद से पदोन्नत से भरा जाय।

1. **विपणन शाखाः**–उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2011 के क्रम में खाद्य एवं रसद अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30 जून,2011 के क्रम में विपणन शाखा के पदों के पदनाम भर्ती का स्रोत सहित वेतनमान संशोधन का प्रस्ताव हैः–

(i) विपणन निरीक्षक ₹4500–7000 ,पूर्व वेतनमान ₹5000–8000 वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत् प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है।

(ii) वरिष्ठ विपणन निरीक्षकः–वेतनमान ₹5000–8000 को पूर्व वेतनमान ₹7450–11500 वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600, 05 वर्ष की सेवा वाले विपणन निरीक्षकों से शत् प्रतिशत पदोन्नति एवं पदनाम वरिष्ठ क्षेत्र विपणन अधिकारी किये जाने का प्रस्ताव है।

(iii) जिला खाद्य विपणन अधिकारीः–वेतनमान ₹6500–10500 पूर्व वेतनमान ₹7500–12000 ग्रेड पे ₹4800, 07 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ विपणन निरीक्षकों से 50 प्रतिशत आयोग के परामर्श से पदोन्नत द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा के साथ–साथ पदनाम जिला खाद्य विपणन अधिकारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

(iv) सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारीः–वेतनमान ₹8000–13500 को पूर्व वेतनमान ₹10000–15200 ग्रेड पे ₹6600 में संशोधित सहित 05 वर्ष की सेवा वाले जिला खाद्य विपणन अधिकारी से शत् प्रतिशत पदोन्नति सहित पदनाम परिवर्तन, का प्रस्ताव है।

(v) विपणन अधिकारीः–मुख्य विपणन अधिकारी के पूर्व वेतनमान ₹10000–15200 को पूर्व वेतनमान ₹14300–18300 वेतन बैण्ड ₹37400–67000 ग्रेड पे ₹8700 में संशोधित सहित 07 वर्ष की सेवा वाले सम्भागीय विपणन अधिकारी से शत् प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है।

3. **विधिमाप विज्ञानः**–

(i) **निरीक्षकः**–के पूर्व वेतनमान ₹4500–7000 को उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश दिनांक 04 मई,2011 के आधार पर वेतनमान ₹5000–8000 वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 में उच्चीकृत सहित सीधी भर्ती हेतु वर्तमान में निर्धारित अर्हता बनाये रखने के लिए शत् प्रतिशत लोक सेवा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है।

(ii) **ज्येष्ठ निरीक्षकः**–पूर्व वेतनमान ₹5000–8000 को पूर्व वेतनमान 7400–11500 वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4600 पुनरीक्षित किये जाने के साथ–साथ 05 वर्ष की सेवा वाले निरीक्षकों से भरे जाने का प्रस्ताव है।

(iii) **सहायक नियत्रंक वर्ग–2** :–पूर्व वेतनमान 5000–8000 को पूर्व वेतनमान 7500–12000 वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4800 में उच्चीकृत किये जाने के साथ–साथ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भर्ती के स्रोत में 50 प्रतिशत
05 वर्ष की सेवा वाले ज्येष्ठ निरीक्षकों से पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार विभाग द्वारा वेतनमान समान रूप से संशोधित किये जाने का प्राविधान है किन्तु भर्ती के

स्रोत में संशोधन का प्रस्ताव नही किया गया है। अतः ऐसी स्थति में उत्तर प्रदेश राज्य की भांति वेतनमान संशोधन के साथ–साथ भर्ती के स्रोत में भी संशोधन का प्रस्ताव है।

(iv) **सहायक नियंत्रक वर्ग–1**:–के पद के वेतनमान पूर्ववत यथावत रखते हुए इसके भर्ती के स्रोत में 50 प्रतिशत 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक नियत्रंक वर्ग–2 से पदोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा रखा गया है जबकि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा इस तरह की व्यवस्था नहीं प्रस्तावित की गई है।

(v) **उप नियत्रंक**:–के पद के वेतनमान पूर्ववत यथावत रखते हुए इसके भर्ती के स्रोत में 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक नियत्रंक वर्ग–1 के पदधारको से पदोन्नति से भरे जाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा रखा गया है

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह पाया कि उ0 प्र0 राज्य के खाद्य विभाग में आपूर्ति शाखा, विधिमाप विज्ञान एवं विपणन शाखा में उपलब्ध में पदों एवं इस प्रदेश के खाद्य विभाग के आपूर्ति शाखा, विधिमाप विज्ञान एवं विपणन शाखा के पदो के संवर्गीय ढॉचे में भिन्नता है। उ0प्र0 राज्य के द्वारा वेतन समिति,2008 के दसवें प्रतिवेदन भाग–1 में कतिपय पदों के वेतनमान आमेलित करते हुए वेतनमान उच्चीकृत किये गये है तथा कतिपय पदों की भर्ती का स्रोत भी परिवर्तित करते हुए पदों को पुर्नगठित किया गया है। जबकि विभाग द्वारा उ0 प्र0 राज्य के अनुसार विभागीय संवर्गीय ढॉचें में विद्यमान पदो की भर्ती का स्रोत, शैक्षिक योग्यता तद्नुसार नहीं रखा गया है तथा संवर्गीय ढांचे में भिन्नता के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः विभाग यह देखें कि सम्प्रति विभाग में गठित उक्त सवंर्ग के पदों के वेतनमानो, भर्ती के स्रोत अथवा पोषक सवर्ग/हाय–आर्की में पदोन्नति के पदों के संबंध में यदि विसंगति है तब वेतन समिति,2008 की उपरिउल्लिखित संस्तुतियों एवं भारत सरकार में समकक्ष विभाग में विद्यमान पदों की तुलनीयता के आधार पर एक सुस्पष्ट प्रस्ताव समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:295/XXVii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
विधान सभा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 13 दिसम्बर,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में विधान सभा के लेखा संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19–7–2011 के क्रम में विधान सभा के सहायक लेखाकार के पद वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2800 को पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पें ₹4200 तथा लेखाकार के पद वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 को पदनाम समीक्षा अधिकारी (लेखा) बेतन बैण्ड ₹4600 उत्तराखण्ड सचिवालय के लेखा संवर्ग से पैरिटी के आधार पर संशोधित किये जायें।

समिति संस्तुति करती है कि विधान सभा के सहायक लेखाकार वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पें ₹2800,लेखाकार वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 एवं सहायक लेखाधिकारी वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4800 की पैरिटी क्रमशः सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पें ₹4200, समीक्षा अधिकारी(लेखा)वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड ₹4600 एवं अनुभाग अधिकारी(लेखा) ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4800 से की जाए तथा उक्त पदों की भर्ती का स्रोत एवं शैक्षिक एवं अन्य अर्हता भी तद्नुसार ही रखी जाय।

लेखाधिकारी का पद सम्प्रति प्रदेश में वित्त सेवा के पद है जबकि विधान सभा में उक्त पद विभागीय संवर्गीय पद है। विधान सभा के लेखाधिकारी वेतनमान ₹8000–13500 वेतन बैण्ड ₹15600–39100 ग्रेड पे ₹5400 में है जबकि सचिवालय लेखा संवर्ग में अनु सचिव(लेखा) ₹15600–39100 ग्रेड पे ₹6600 उच्च वेतनमान में है फलस्वरूप विधान सभा के लेखाधिकारी की पैरिटी सचिवालय के लेखा संवर्ग के अनु सचिव(लेखा) के समान न होने के कारण लेखाधिकारी का पदनाम एवं वेतनमान उच्चीकृत किये जाने का औचित्य समिति द्वारा नहीं पाया गया ।

(2) **प्रतिवेदक** :–

विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि उत्तर प्रदेश राज्य में वेतन समिति,2008 के दसवें प्रतिवेदन भाग–1 तथा उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्याः वे0आ0–2–382/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 18 मार्च,2011 द्वारा अन्य पदों के साथ–साथ प्रतिवेदक पद की समकक्षता निजी सचिव श्रेणी–1 से करते हुए प्रतिवेदक के पूर्व वेतनमान ₹6500–10500 को पूर्व वेतनमान ₹7500–12000 वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4800 दिनांक 01–01–2006 से नोशनली तथा दिनांक 30 सितम्बर,2008 से वास्तविक आधार पर

अनुमन्य किया गया है। सम्प्रति उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा, सचिवालय के शासनादेश संख्या:434 / वि0स0 / 03 / अधि0 / 2000 दिनांक 08 जुलाई,2009 द्वारा अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव के पूर्व वेतनमान ₹6500–10500 पूर्व वेतनमान ₹7500–12000 वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4800 दिनांक 01–01–2006 से नोशनली तथा 01–04–2009 से वास्तविक आधार पर अनुमन्य किया गया है। अतः पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भांति प्रतिवेदक पद की समकक्षता विधान सभा के निजी सचिव से करते हुए उक्तानुसार वेतनमान दिनांक 01–01–2006 से नोशनली एवं दिनांक 01–04–2009 से वास्तविक आधार पर अनुमन्य किया जाय।

समिति संस्तुति करती है कि प्रतिवेदक पद की समकक्षता निजी सचिव श्रेणी से करते हुए प्रतिवेदक के पूर्व वेतनमान ₹6500–10500 को पूर्व वेतनमान ₹7500–12000 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4800 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:२१६/XXVii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 13 दिसम्बर,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा के पुस्तकालय संवर्ग का पुनर्गठन के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वियन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त(वे0आ0)अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या: वे0आ0–2–2060/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा राजकीय विभागों के पुस्तकालय कर्मचारी/अधिकारी संवर्ग के पुनर्गठन के संबंध में जो मानक निर्धारित किये गये है के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग के पुस्तकालय संवर्ग का पुर्नगठन किया जाए।

समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि प्रदेश के जिन–जिन विभागों में पुस्तकालय संवर्ग गठित है उन विभागों में उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर,2010 के आधार पर संवर्गीय ढांचा पुनर्गठित किया जाए।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्याः२१७/XXVII(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः13 दिसम्बर,2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड सचिवालय के लेखा संवर्ग के पदनाम पिछली तिथि से परिवर्तित किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः870/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च,2011 के क्रम में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है जिसमें न्याय विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि किसी नियमावली को पूर्व तिथि से संशोधित किया जा सकता है जिसके संबंध में विभाग अपने स्तर से निर्णय ले सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या495/बीस–1–ई–2011–603(15)/08 टी0सी0–1 दिनांक 08 अप्रैल,2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी(लेखा) के पद पर उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के समीक्षा अधिकारियों के समान दिनांक 01–01–2006 से वेतन बैण्ड–2 ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600 अनुमन्य किया गया है। अनुभाग अधिकारी (लेखा) को ग्रेड पे ₹4800 दिनांक 01–01–2006 से प्राकल्पित आधार पर तथा वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर,2008 से अनुमन्य किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की भांति उत्तराखण्ड सचिवालय में भी लेखा संवर्ग के कार्मिकों को दिनांक 01–01–06 से उच्चीकृत किया जाए।

समिति संस्तुति करती है कि सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः959/XXXIX(2)/2007 दिनांक 24 अगस्त,2007 द्वारा सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों के वेतनमान ₹5500–9000 को उच्चीकृत करते हुए ₹6500–10500 दिनांक 26 जून,2007 से अनुमन्य किया गया है इसी प्रकार शासनादेश संख्याः 77/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च,2009 द्वारा सचिवालय के अनुभाग अधिकारी को वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4800 दिनांक 01–01–2006 से नोशनली तथा दिनांक 01–04–2009 से वास्तविक आधार पर अनुमन्य किया गया है फलस्वरूप सचिवालय के लेखा संवर्ग के समीक्षा अधिकारी(लेखा) के वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600 को सचिवालय के समीक्षा अधिकारी को उच्चीकृत वेतनमान, दिनांक 26–6–2007 से अनुमन्य किया जाए। अनुभाग अधिकारी (लेखा) वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600 को सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के समान दिनांक 01–01–2006 से नोशनली तथा दिनांक 01–04–2009 से वास्तविक आधार पर अनुमन्य किया जाए।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:२१४/XXVii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें

सचिव,
चिकित्सा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07

देहरादून:दिनांक:13 दिसम्बर,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता(पुरूष/महिला) कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के कम में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 14 जुलाई,2010 के क्रम में चिकित्सा अनुभाग–10 की अधिसूचना संख्या:2767(1)/5–10–2009 दिनांक 23–10–2009 तथा अन्य संगत शासनादेश जो मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–12–79 एवं दिनांक 18–01–2008 के क्रम में निर्गत किये गये, के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता(पुरूष) एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के वेतनमान दिनांक 01–7–79, दिनांक 23–7–81, दिनांक 01–01–86 एवं दिनांक 01–01–96 से संशोधित कर पुनरीक्षित किये गये है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01–12–79 से यह निर्णय दिया गया है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष/महिला) एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के वेतनमान उत्तर प्रदेश, हेल्थ वर्कर/हैल्थ सुपरवाईजर(रेगुलेशन एक्ट),1996 जो दिनांक 05–01–96 से प्रभावी हुआ, के प्रभावी होने की तिथि से वेतनमान दिया जाए अर्थात दिनाक 05–01–96 के पूर्व उक्त पदों के वेतनमान समान रहेंगें तथा दिनांक 05–01–96 से स्वास्थ्य कार्यकता(पुरूष/महिला) के वेतनमान 3200–4900 तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का वेतनमान 4500–7000 यथावत रहेगा। उत्तर प्रदेश द्वारा इस संबंध में शासनादेश संख्या:898/5–10–10– डब्ल्यू–55/08 दिनांक 07 मई,2010 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत कर दिया गया है। अब यहां पर भी उक्त एक्ट के प्राविधान के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष/महिला) का वेतनमान दिनांक 05–01–96 से उत्तर प्रदेश की भांति 3200–4900 किया जाए।

समिति द्वारा समस्त तथ्यों के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि प्रस्ताव को समिति की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:२११/XXvii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:13 दिसम्बर,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के नर्सेज संवर्ग के कार्मिकों के वेतनमान उच्चीकरण के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगतिं समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या:3293/ 71–2–2004–141/96 दिनांक 07 अक्टूबर,2004 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयुर्वेदिक एवं यूनानी नर्सिंग सेवा संवर्ग के पदों के वेतनमान एलोपेथ विभाग के नर्सिंग संवर्ग के अनुरूप किये जाने के कम में उत्तराखण्ड राज्य के आयुष विभाग के शासनादेश संख्या:1127(1)/XXVIII(1)–2008–156/2007 दिनांक 22 अक्टूबर,2008 द्वारा पदों के वेतनमान पुनरीक्षित कर दिये गये है। उक्तानुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के नर्सिंग सेवा संवर्ग की पैरिटी एलोपेथ विभाग से रही है। वित्त विभाग क परिपत्र संख्या: 891/40(X)/XXVII(7)दस0 प्रति0/2011 दिनांक 30 मार्च,2011 की व्यवस्थानुसार आयुष विभाग के नर्सिंग संवर्ग के पदों के वेतनमान निम्न तालिकानुसार संशोधित किये जाए:–

क्र. सं.	वर्तमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था	
	पदनाम/वेतनमान (₹)	दिनांक 01 जनवरी, 2005 से लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (₹)	पदनाम/उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (₹)	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (₹)
1	2	3	4	5
1	स्टाफ नर्स/ ₹ 5000–8000	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 गेड पे– ₹ 4200	₹ 7450–11500	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड–पे ₹ 4600
2	सिस्टर ₹ 5500–9000	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड पे– ₹ 4200	₹ 7500–12000	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड–पे ₹ 4800
3	सिस्टर ट्यूटर ₹ 6500–10500	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड पे– ₹ 4200	₹ 7500–12000	वेतन बैण्ड–3 ₹ 9300–34800 ग्रेड–पे ₹ 4800
4	मेर्टन/सहायक मेर्टन ₹ 6500–10500	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड पे– ₹ 4200	₹ 8000–13500	वेतन बैण्ड–3 ₹ 15600 –39100 ग्रेड–पे ₹ 5400

समिति संस्तुति करती है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या:3293/71–2–2004–14/96 दिनांक 07 अक्टूबर,2004 द्वारा आयुर्वेदिक/यूनानी नर्सिंग सेवा संवर्ग पदों पर भर्ती की विधि, शैक्षिक/तकनीकी प्रशिक्षण तथा अनुभव संबधी अर्हता चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपलब्ध समतुल्य पदों हेतु निर्धारित भर्ती की विधि, शैक्षिक/तकनीकी अर्हता व निर्धारित प्रशिक्षण अनुभव के अनुसार रखे जाने का प्राविधान करते हुए वेतनमान उच्चीकृत किये गये है तथा तत्क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश संख्या:1127(1)/XXVIII(1)–2008–156/2007 दिनांक 22 अक्टूबर,2008 द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग के नर्सेज संवर्ग के वेतनमान को संशोधित किया गया है। अब चूंकि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:891/40(X)/XXVII(7)दस0 प्रति0/2011 दिनांक 30 मार्च,2011 द्वारा चिकित्सा विभाग के नर्सिंग संवर्ग के पद छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में कॉमन केटेगरी में आ जाने के कारण वेतनमान संशोधित/उच्चीकृत किये गये है. फलस्वरूप आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा विभाग के नर्सेज संवर्ग के वेतनमान भी उपरिउल्लिखित तालिकानुसार संशोधित किये जाएं।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:30४/XXVii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें

प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 13 दिसम्बर,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों के प्रधानाध्यपक/प्रधानाचार्य के वेतनमान उच्चीकरण के संबध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश,1998 के द्वितीय प्रतिवेदन(आंशिक/छठे प्रतिवेदन की संस्तुतियां) पर लिए गये निर्णयानुसार समाज कल्याण विभाग के संचालित राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों के शिक्षकों का दिनांक 01–01–96 से वेतनमान पुनरीक्षण शासनादेश संख्या:1550/XVII(1)/–1/2005–463 (स0क0)/2005 दिनांक 22–10–2005 द्वारा किया गया है। वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 1997–98 के 16वें प्रतिवेदन खण्ड–2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयनुसार समाज कल्याण विभाग के उक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयो के शिक्षकों की शैक्षणिक अर्हता, भर्ती की विधि एवं संवर्गीय ढांचा समान कर दिये जाने के उपरान्त, उक्त विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान किये जाने के फलस्वरूप तदनुसार वेतनमान भी शासनादेश संख्या:1559(1)/XVII(1)1/2005 दिनांक 25 अक्टूबर,2005 द्वारा संशोधित किये गये है। तत्समय जनजाति कल्याण निदेशालय का पृथक से गठन न होने के कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन समाज कल्याण निदेशालय द्वारा ही किया जाता था। शासनादेश संख्या:437/XVII(1)01/2006–19(4)/2005 दिनांक 08–03–2006 द्वारा जनजाति निदेशालय का पृथक से गठन कर दिये जाने के कारण अनुसूचित जनजाति राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों का संचालन जनजाति निदेशालय द्वारा किया जाने लगा तथा तदोपरान्त समाज कल्याण अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या:677/XVII–1/ 10–2ब (11)/2009 दिनांक 29 जुलाई,2010 द्वारा जनजाति कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान छठा वेतनमान अनुमन्य किया गया है जबकि समाज कल्याण निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान शैक्षणिक अर्हता, भर्ती की विधि एवं संवर्गीय ढांचा समान कर दिये जाने तथा तदनुसार पंचम वेतनमान भी पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात भी समान वेतनमान अनुमन्य नहीं किया गया है।

समिति संस्तुति करती है कि समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के शिक्षकों को जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतनमान अनुमन्य किये जाए।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव वित्त।

संख्या:301/XXvii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रभारी सचिव,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:13 दिसम्बर,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में पशुपालन विभाग के वेटनरी फार्मासिस्ट तथा चीफ फार्मासिस्ट के वेतनमान पुनरीक्षण के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या:2174/37–1–2011–5(57)/2008 दिनांक 01 जून,2011 द्वारा पशुपालन विभाग के वेटनरी संवर्ग में उपलब्ध फार्मासिस्ट के पद पर एन्ट्री लेवल वेतनमान ₹4500–7000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन ₹2800) तथा एन्ट्री लेवल 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नॉन फक्शनल के आधार पर ₹5000–8000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4200) अनुमन्य किया गया है। इसी प्रकार वेटनरी फार्मेसिस्ट संवर्ग में उपलब्ध चीफ फार्मेसिस्ट के पद पर अनुमन्य वेतनमान ₹5500–9000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4200) के स्थान पर संशोधित उच्चीकृत वेतनमान ₹6500–10500 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4600) अनुमन्य किया गया है। अतः इसी आधार पर पशुपालन विभाग के फार्मासिस्ट के पद पर 02 वर्ष की सेवा पर नॉन फक्शनल के आधार पर वेतनमान ₹5000–8000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4200), वेटनरी फार्मेसिस्ट संवर्ग में उपलब्ध चीफ फार्मेसिस्ट के पद पर अनुमन्य वेतनमान ₹5500–9000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4200) के स्थान पर संशोधित उच्चीकृत वेतनमान ₹6500–10500 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4600) अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव है।

समिति संस्तुति करती है कि पशुपालन विभाग के वेटनरी फार्मासिस्ट संवर्ग के पद पर एन्ट्री लेवल वेतनमान ₹4500–7000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन ₹2800) में 02 वर्ष की सेवा पर नॉन फक्शनल के आधार पर वेतनमान ₹5000–8000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4200) तथा वेटनरी फार्मेसिस्ट संवर्ग में उपलब्ध चीफ फार्मेसिस्ट के पद पर अनुमन्य वेतनमान ₹5500–9000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4200) के स्थान पर संशोधित उच्चीकृत वेतनमान ₹6500–10500 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4600) अनुमन्य किया जाए।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:३०२/ XXVii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07 देहरादून:दिनांक: 13 दिसम्बर,2011

विषय:-वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग के वेतनमान के संशोधन के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या:1267/XXVIII(1)-2006-28/205 दिनांक 12 सितम्बर,2006 आयूर्वेद एवं यूनानी विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग की पैरटी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स्थापित की गई है। सम्प्रति चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या:319/XXVIII-3-2011-142/2011 दिनांक 05-04-2011 द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत फार्मासिस्टों को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नॉनफक्शनल वेतनमान ₹5500-9000 पुनरीक्षित वेतनमान ₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4200 अनुमन्य किया गया है। अतः पूर्व से पदनाम एवं वेतनमानों की एकरूपता के आधार पर आयूर्वेद एवं यूनानी विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग को भी 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नॉनफक्शनल वेतनमान ₹5500-9000 पुनरीक्षित वेतनमान ₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4200 अनुमन्य किया गया जाए।

समिति संस्तुति करती है कि आयुर्वेद विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग की पैरिटी एलोपैथ विभाग से होने के कारण जिस प्रकार एलोपैथ विभाग के फार्मासिस्ट को नॉन फक्शनल वेतनमान ₹5000-8000(सादृश्य वेतन बैण्ड ₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4200) अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की जा रही है उसी प्रकार आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के फार्मासिस्टों को भी 02 वर्ष की सेवा पर नॉन फक्शनल वेतनमान ₹5000-8000(सादृश्य वेतन बैण्ड ₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4200) अनुमन्य किया जाए।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में फार्मासिस्ट संवर्ग के पदोन्नति के पद की यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पदों से पैरिटी है तब आयुर्वेद विभाग में भी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों के समान वेतनमान संशोधित करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग में प्रस्तुत करें।

2- उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या303/XXVii(7)40(14)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
चिकित्सा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:13 दिसम्बर,2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में चिकित्सा विभाग के फार्मेसिस्ट संवर्ग के वेतनमान उच्चीकरण के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या:319/ XXVIII–3–2011–142/2011 दिनांक 05–04–2011 द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत फार्मासिस्टों को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नॉनफक्शनल वेतनमान ₹5500–9000 पुनरीक्षित वेतनमान ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 अनुमन्य किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या: 1159/पांच–7–2011 –सात–92/88 दिनांक 28 अप्रैल,2011 द्वारा नॉनफक्शनल वेतनमान ₹5500–9000 पुनरीक्षित वेतनमान ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200, कुल 02 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य किया गया है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के चिकित्सा अनुभाग–7 के शासनादेश दिनांक 28 अप्रैल,2011 द्वारा चीफ फार्मासिस्ट के पूर्व वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 को ग्रेड पे ₹4600, प्रभारी अधिकारी फार्मेसिस्ट ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600 को ग्रेड पे ₹4800 में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किया गया है।

समिति संस्तुति करती है कि चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या:319/XXVIII –3–2011–142/2011 दिनांक 05–04–2011 द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत फार्मासिस्टों को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नॉनफक्शनल वेतनमान ₹5500–9000 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 के स्थान पर कुल 02 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य किया जाए।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि चीफ फार्मासिस्ट के पूर्व वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 को ग्रेड पे ₹4600, प्रभारी अधिकारी फार्मेसिस्ट ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600 को ग्रेड पे ₹4800 में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किया जाए।

2– उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्याः287/XXVII(7)40(15)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल
सचिव,वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख सचिव
वन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0 07 देहरादूनःदिनांकः20 दिसम्बर,2011

विषय—वन विकास निगम के स्केलर संवर्ग समूह 'घ' वेतनमान ₹4440–7440 ग्रेड पे ₹1400 को वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1900 में उच्चीकृत किये जाने के संबंध में समिति द्वारा की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि वन विकास निगम के स्केलर संवर्ग के पद पूर्व वेतनमान ₹2610–3540 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1400 पर सीजनल आधार पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति की जाती है और उन्हे मासिक आधार पर संहत मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इनमें से 10 प्रतिशत ऐसे स्केलरों को, जो कम से कम दैनिक वेतन आधार पर 02 वर्ष का अनुभव रखते हो और जो विहित, लिखित, शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकें हों, सीधी भर्ती द्वारा नियमित नियुक्ति प्रदान की जाती है। उक्त पद की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, अंक गणित है, तथा इस पद के कार्य एवं दायित्व समूह'घ' से भिन्न एंव अधिक महत्व के है। सेवा नियमावली के आधार पर इस पद की पदोन्नति लौगिंग सहायक पूर्व वेतनमान ₹3050–4590 पुनरीक्षित वेतनमान ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1900 में होती है तथा इस पद की शैक्षिक योग्यता इण्टर मीडिएट है। लौगिंग सहायक वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1900 से उप लौगिंग अधिकारी वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 में पदोन्नति का प्राविधान है।

2— वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड की शैक्षिक योग्यता तथा स्केलर संवर्ग की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल है तथा फॉरेस्ट गार्ड एंव स्केलर संवर्ग के कार्य एवं दायित्व भी समान प्रकृति के है। वन विभाग के शासनादेश संख्या:30/X–1–2011 –4(7)2010 दिनांक 29 जुलाई,2011 द्वारा वन रक्षक का वेतनमान ₹2750–4400 का पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 ₹5200–20200 एंव ग्रेड पे ₹1800 के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान ₹3050–4590 का पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1900 में उच्चीकृत किया गया है। स्केलर संवर्ग समूह 'घ' का पद है तथा उक्त पद पूर्व वेतनमान ₹2610–3540 सम्प्रति नये वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1400 में सृजित है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:877/XXVII(7)च0श्र0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत स्पष्टीकरण आदेश द्वारा प्रदेश के राजकीय विभागों के समूह 'घ' के पदों को ग्रेड पे ₹1300/–, ₹1400/– एवं ₹1650/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–1 ₹5200–20200 एवं ग्रेड पे ₹1800 में उच्चीकरण/संशोधन किया गया है। निगमों में भी उक्तानुसार समूह'घ' के पदों के वेतनमान 5200–20200 एवं ग्रेड पे ₹1800 कर दिया गया है।

अतः इस आधार पर स्केलर संवर्ग के पद को समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹1400 में बनाये रखा जाने का अब आधार नहीं है। वन विकास निगम में पदों की जो हायर-आर्की है उसमें प्रथम पद स्केलर ₹2610–3540 वेतन बैण्ड ₹4440–7440 ग्रेड पे ₹1400, इससे पदोन्नति का पद लौगिंग सहायक पूर्व वेतनमान ₹3050–4590 नये वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1900 एवं लौगिंग सहायक से पदोन्नति का पद उप लौगिंग अधिकारी पूर्व वेतनमान ₹5000–8000 नये वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200 में सृजित है। स्केलर संवर्ग के कार्य/दायित्वों के दृष्टिगत उक्त पद को समूह 'ग' में रखने पर एवं ग्रेड वेतन ₹1900/- अनुमन्य किये जाने पर सेवा नियमावली के आधार पर इससे पदोन्नति का पद लौगिंग सहायक ग्रेड पे ₹1900 एक ही वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे में आ जाने के कारण एक विसंगति हो जायेगी।

3 अतः उक्त समग्र तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा की गई संस्तुति के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि:-

(i) वन विकास निगम के स्केलर संवर्ग के पूर्व वेतनमान ₹2610–3540 वेतन बैण्ड ₹4440–7440 ग्रेड पे ₹1400 को पूर्व वेतनमान ₹3050–4590 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1900 तथा लौगिंग सहायक पूर्व वेतनमान ₹3050–4590 नये वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹1900 को पूर्व वेतनमान ₹3200–4900 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2000 में संशोधित किया जाए।

(ii) स्केलर संवर्ग की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से बढ़ाकर इण्टर मीडिएट की जाए तथा जो स्केलर उक्त शैक्षिक योग्यता/अर्हता पूरी नहीं करते हो, उन्हें 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।

(iii) भविष्य में स्केलर के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से ही नियुक्ति की जाए।

4 उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव, वित्त।

संख्या: 226/XXVII(7)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 13 दिसम्बर,2011

विषयः–शासनादेश संख्या:872/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च,2011 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत 10 वर्ष, 18 वर्ष 26 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिये जाने के संबंध में सेवा अवधि की गणना किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:872/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च,2011 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत 10 वर्ष, 18 वर्ष, 26 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिये जाने की व्यवस्था लागू की गयी थी, जिसके प्रस्तर–2(क)V के अनुसार किसी पदधारक द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 10,18 एवं 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होंगे।

अतः उक्त के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी सेवानियमावली में प्राविधानित निश्चित सेवा अवधि पूर्ण करने के फलस्वरूप विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हुई है उन्हें वित्त विभाग के उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 08 मार्च,2011 के प्रस्तर–2(क)(V) के अनुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 10,18 एवं 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होंगे।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव, वित्त ।

संख्याः 67 / XXVII(7)40(2) / 2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनांक 13 अप्रैल, 2012

विषयः– वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की फिटमैन्ट तालिका एवं विकल्प की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः483 / XXVII(7)द्वि0प्रति0 / 2010, दिनांक 12 मार्च, 2010 द्वारा दिनांक 01–01–2006 के पूर्व 6500–10500 के वेतनमान को ₹7450–11500 में उच्चीकृत करते हुए नये वेतन बैण्ड–2 ₹9300–34800 में ग्रेड पे ₹4600 स्वीकृत की गयी है तथा उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने के संदर्भ में विकल्प की सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा वेतन निर्धारण हेतु फिटमैन्ट तालिका की अनुमन्यता के संदर्भ में कतिपय विभागों द्वारा जिज्ञासाएं की जा रही हैं। विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार किसी पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा उसके बाद की तिथि से वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर अनुमन्य उच्चीकृत / संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन

बैंड/ग्रेड वेतन जिसका विवरण निम्नवत् है में संलग्न तालिकाओं के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं.	वर्तमान वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	उच्चीकृत वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतन निर्धारण की संलग्न तालिका संख्याः
1	2	3	4
1	₹6500–10500/वेतन बैण्ड–2(₹9300–34800) ग्रेड पे ₹4200	₹7450–11500/ वेतन बैण्ड–2(₹9300–34800) ग्रेड पे ₹4600	तालिका संख्याः1
2	₹6500–10500/वेतन बैण्ड–2(₹9300–34800) ग्रेड पे ₹4200	₹7500–12000/वेतन बैण्ड–2(₹9300–34800) ग्रेड पे ₹4800	तालिका संख्याः2

2– उपरोक्तानुसार वेतन बैंड–2 (₹9300–34800) एवं ग्रेड वेतन ₹4200 के स्थान पर वेतन बैंड–2 (₹9300–34800) में ग्रेड वेतन ₹4600 में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस आदेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

3– संलग्न तालिका में उल्लेखानुसार वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या.395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर,2008 एवं तत्क्रम में जारी शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

4– यदि किसी विभाग द्वारा ग्रेड वेतन उच्चीकरण के फलस्वरूप उक्त वर्णित फिटमैन्ट तालिका से इतर वेतन निर्धारण किया गया हो तो उसे ठीक कर उपरोक्तानुसार संलग्न फिटमैन्ट तालिका के अनुसार ही वेतन निर्धारण किया जाय। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप सम्बन्धित को भुगतान की गई धनराशि की तत्काल वसूली सुनिश्चित की जाय।

5— उपर्युक्त शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर,2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की शेष व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगीं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या-67 (1)/XXVII (7) 40(2)/ 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2— सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।

3— सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।

4— महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

5— स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।

6— निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

7— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8— वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9— उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।

10— वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।

11— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।

12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

तालिका–1

संख्या:– 67 / XXVii(7)40(2) / 2012 दिनांक 13 अप्रैल, 2012 का संलग्नक

(1) पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान – 6500–200–10500
(2) उच्चीकृत वेतनमान – 7450–225–11500
(3) उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना
(वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन 4600)

क्र0सं0	पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में मूल वेतन	उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन (₹ में)		
		वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6500	12540	4600	17140
2	6700	12540	4600	17140
3	6900	12840	4600	17440
4	7100	13210	4600	17810
5	7300	13580	4600	18180
6	7500	13950	4600	18550
7	7700	14330	4600	18930
8	7900	14700	4600	19300
9	8100	15070	4600	19670
10	8300	15440	4600	20040
11	8500	15810	4600	20410
12	8700	16190	4600	20790
13	8900	16560	4600	21160
14	9100	16930	4600	21530
15	9300	17300	4600	21900
16	9500	17670	4600	22270
17	9700	18050	4600	22650
18	9900	18420	4600	23020
19	10100	18790	4600	23390
20	10300	19160	4600	23760
21	10500	19530	4600	24130
22	10700	19910	4600	24510
23	10900	20280	4600	24880
24	11100	20650	4600	25250

संख्याः–67/XXVii(7)40(2)/2012 दिनांक 13 अप्रैल, 2012 का संलग्नक

(1) पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान – 6500–200–10500
(2) उच्चीकृत वेतनमान – 7500–250–12000
(3) उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन 4800)

क्र0सं0	पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में मूल वेतन	उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन (₹ में)		
		वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6500	13350	4800	18150
2	6700	13350	4800	18150
3	6900	13350	4800	18150
4	7100	13350	4800	18150
5	7300	13580	4800	18380
6	7500	13950	4800	18750
7	7700	14330	4800	19130
8	7900	14700	4800	19500
9	8100	15070	4800	19870
10	8300	15440	4800	20240
11	8500	15810	4800	20610
12	8700	16190	4800	20990
13	8900	16560	4800	21360
14	9100	16930	4800	21730
15	9300	17300	4800	22100
16	9500	17670	4800	22470
17	9700	18050	4800	22850
18	9900	18420	4800	23220
19	10100	18790	4800	23590
20	10300	19160	4800	23960
21	10500	19530	4800	24330
22	10700	19910	4800	24710
23	10900	20280	4800	25080
24	11100	20650	4800	25450

पत्रांकः– 313/xxvii(7)40(ix)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु–07, देहरादूनः दिनांकः 20 अक्टूबर,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था शासनादेश सं0–872/xxvii(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0–10/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 07 अप्रैल 2011, सं0–65/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 04 अगस्त 2011 एवं सं0–216/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों एवं कतिपय बिन्दुओं–जिज्ञासाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित स्पष्टीकरण–मार्गदर्शन के विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन–स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के प्रसंग में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तद्नुसार ही एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये समानता के आधार पर एक ही तिथि 01.09.2008 से प्रभावी होगी और दिनांक 31.08.2008 तक पुनरीक्षित वेतन–संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद धारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था, यथावत् लागू रहेगी। परिणामस्वरूप दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतनमानों में रू0 8000–13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31.12.2005 तक प्रभावी रही, पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 31.08.2008 तक यथावत् लागू समझी जायेगी। शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर 2008 का प्रस्तर–13 एवं उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(1) इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(2) सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से क्रमशः 10 वर्ष, 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ, निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे और तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(2)(1) संशोधित समझा जायेगा :–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा, निरन्तर एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन किसी समय–बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा–अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 18 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि ए0सी0पी की व्यवस्था लागू होने के बाद सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति, उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन देय होने की तिथि के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 18 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

(ग) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

ऐसे पदधारक, जिन्हें एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) लागू होने की तिथि 01.09.2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 18 वर्ष या अधिक की सेवा–अवधि पर अनुमन्य होता है, को द्वितीय स्तरोन्नयन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

(3) एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू होने के पूर्व अथवा बाद में, प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने के तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित

वेतन संरचना में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर प्रोन्नति हुयी है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा। यहां, "**समान ग्रेड वेतन**" का आशय, उस ग्रेड वेतन से तुलना का है, जो कार्मिक की पदोन्नति की तिथि को, उसे किसी भी रूप में (पद के साधारण वेतनमान या समयमान वेतनमान या ए0सी0पी0 यथास्थिति) वास्तविक रूप से प्राप्त ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन, उसे प्राप्त पदोन्नति की तिथि को, पूर्व से वास्तविक रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से निम्न होगा, तो ऐसी पदोन्नति को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के प्रसंग में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में नहीं माना जायेगा। इस सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1 (2) (v) संशोधित समझा जायेगा किन्तु उसके अधीन "**परन्तुक**" यथावत लागू रहेगा।

(4) किसी वरिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन, कनिष्ठ कार्मिक को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में प्राप्त ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा और तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(7) एवं शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल 2011 के प्रस्तर–3 की तालिका में बिन्दु–02 के संदर्भ में पूर्व निर्गत स्पष्टीकरण को संशोधित समझा जायेगा:–

" किसी कार्मिक को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कार्मिक को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान ग्रेड वेतन, कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा, जब वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कार्मिकों की भर्ती का स्रोत तथा सेवा–शर्तें समान हो तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती, तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये अर्ह होता।"

(5) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के **प्रस्तर–3 (प्रथम अंश)** में उल्लिखित " **धारित पद**" का आशय एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत उस पद से समझा जाये, जिस पद पर सम्बन्धित कार्मिक सेवा के प्रारम्भ में "**सीधी भर्ती**" से नियुक्त हुआ हो और इसी प्रस्तर में " **उक्त आधार**" का आशय कि उक्त शासनादेश के ही प्रस्तर–1 (यथा संशोधित) में निहित व्यवस्था से है। इस सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का उपर्युक्त प्रस्तर–3 (प्रथम अंश) संशोधित समझा जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011,(यथा संशोधित), जिसमें निहित एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0–1) से निर्गत शासनादेश सं0–2225/vii–1/60–उद्योग/2011 दिनांक

30.11.2011 के प्रस्तर–1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है, के प्रस्तर–3 (द्वितीय अंश) के सुसंगत उप प्रस्तरों में राज्य सरकार के अधीन विभिन्न उपक्रमों/ सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों, जिनके लिये समयमान वेतनमान/उच्च वेतनमान की व्यवस्थायें भिन्न–भिन्न दशाओं में और भिन्न–भिन्न सेवा–अवधियों पर लागू रही हों, के लिये भी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अतएव उनके सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

<u>संख्या:– 313 (1)/ **xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांक:–**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

पत्रांकः— 314 /xxvii(7)40(ix)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनु—07, देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था शासनादेश सं0—872/xxvii(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0—10/xxvii(7)40 (ix)/2011 दिनांक 07 अप्रैल 2011, सं0—65/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 04 अगस्त 2011 एवं सं0—216/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षित वेतन—संरचना में वेतन बैण्ड 15600—39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 से निम्न ग्रेड वेतन वाले पदधारकों को पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाले लाभों को समायोजित करते हुये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राविधान उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 के प्रस्तर—3(द्वितीय अंश) के विभिन्न उप प्रस्तरों में निहित है किन्तु ग्रेड वेतन रू0 5400 एवं उससे उच्च ग्रेड वेतन के पदो के पदधारकों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रकिया का उसमें उल्लेख न होने के कारण, तत्सम्बन्धित स्पष्टीकरण की भी अपेक्षा है। अतएव ऐसे पदधारकों के सम्बन्ध में भी अपनायी जाने वाली प्रकिया को निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तदनुसार ही एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

(क) पुनरीक्षित वेतन—संरचना में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) लागू होने की तिथि 01.09.2008 को कोई अधिकारी, जिसके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन रू0 5400 या अधिक है, पद के साधारण वेतनमान में है, को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की गणना उक्त पद धारित करने की तिथि से करते हुये उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 के

प्रस्तर—1(यथा संशोधित / यथा स्पष्टीकरण) में निहित व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ यथास्थिति अनुमन्य होंगे। यहां भी, **"धारित पद"** का आशय एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत उस पद से समझा जाये, जिस पद पर सम्बन्धित कार्मिक सेवा के प्रारम्भ में **"सीधी भर्ती"** से नियुक्त हुआ हो और इसी प्रस्तर में **"उक्त आधार"** का आशय उक्त शासनादेश के ही प्रस्तर—1 (यथास्थिति) में निहित व्यवस्था से है।

(ख) उपर्युक्त पदधारक, जो दिनांक 01.09.2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार सीधी भर्ती से धारित पद के साधारण वेतनमान से उच्च किसी वैयक्तिक वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) में कार्यरत है, को निम्नानुसार एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के लाभ देय होंगे:—

(i) पुनरीक्षित वेतन—संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08 वर्ष / अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 05 वर्ष / कतिपय मामलों में 06 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो। सेवा—अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के सदंर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ii) पुनरीक्षित वेतन—संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष / अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 12 वर्ष / कतिपय मामलों मे 16 वर्ष / 18 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक उक्त धारित पद से किसी अन्य पद पर पदोन्नत न हुआ हो, जिस पर रहते हुये उसे द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के सदंर्भ में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ग) सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा तीन पदोन्नतियां प्राप्त होने के पश्चात किसी भी दशा में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नही है। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की उक्त सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड—3 एवं

ग्रेड वेतन रू0 5400 से प्रारम्भ होने वाली सेवाओं के ऐसे पदधारक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 15 प्रतिशत पदों के सापेक्ष सेलेक्शन ग्रेड के रूप में ग्रेड वेतन 8700 वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो चुका है, उन्हें सेवा में प्रवेश (ENTRY) के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के सम्तुल्य लाभ अनुमन्य हो जाने के कारण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत आगे कोई लाभ देय नही होगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011,(यथा संशोधित), जिसमें निहित ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0–1) से निर्गत शासनादेश सं0–2225/vii–1/60–उद्योग/2011 दिनांक 30.11.2011 के प्रस्तर–1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है, के प्रस्तर–3 (द्वितीय अंश) के सुसंगत उप प्रस्तरों में राज्य सरकार के अधीन विभिन्न उपक्रमों/सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों, जिनके लिये समयमान वेतनमान/उच्च वेतनमान की व्यवस्थायें भिन्न–भिन्न दशाओं में और भिन्न–भिन्न सेवा–अवधियों पर लागू रही हों, के लिये भी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अतएव उनके सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या:– 314 (1)/ xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालच के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या/120/ xxvii(7)30(4)/2013

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1— प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2— सचिव,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0—सा0नि)अनु0—7

देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2013

विशयः— लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रमारित अधिष्ठान है के कार्मिको के वेतन से संहत सीमा हटाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 287/xxvii(7)का0प्रमा0/2009 दिनांक 12 नवम्बर 2009, संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2010 एवं संख्या 574/ xxvii(7)/2010 दिनांक 06 जुलाई, 2010 द्वारा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रमारित अधिष्ठान है, के कार्मिको का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रमारित अधिष्ठान हैं, के कार्मिको के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 287/xxvii(7)का0प्रमा0 /2009 दिनांक 12 नवम्बर 2009, संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2010 एवं संख्या 574/xxvii (7)/2010 दिनांक 06 जुलाई, 2010 के कॉलम—6 में इंगित वेतन सीमा निम्नानुसार हटाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

मौजूदा सशोधित वेतन संरचना			संशोधित वेतनमान (रूपये में)	
कं0 सं0	वेतनमान (रूपये में) जिसके आधार पर संहत वेतन निर्धारित था	दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व वेतनमान में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रूपये में)	वेतन बैण्ड /वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	2550—3200	3200	—1 एस	4440—7440
2.	2610—3540	3540	—1 एस	4440—7440
3.	2650—4000	4000	—1 एस	4440—7440
4.	2750—4400	4400	—1 एस	4440—7440
5.	3050—4590	4590	—1 एस	5200—20200
6.	3200—4900	4900	वेतन बैण्ड—1	5200—20200
7.	4000—6000	6000	वेतन बैण्ड—1	5200—20200
8.	4500—7000	7000	वेतन बैण्ड—1	5200—20200
9.	5000—8000	8000	वेतन बैण्ड—1	5200—20200
			वेतन बैण्ड—1	9300—34800

2— उक्तानुसार पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 06 जुलाई, 2010 में विद्यमान शेष व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या५५० (1) / XXVII(7)30(4) / 2013 तददिनॉक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एंव अन्य अनुभाग जहां कार्यप्रभारित कार्मिक कार्यरत हैं।
7. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव।